न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 91/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. बाबूलाल पुत्र पीताराम मेघवाल, निवासी बीनावास तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।		1. कमलादेवी पुत्री लालूराम 2. केलीदेवी पुत्री लालूराम 3. केलीदेवी पत्नी भैराराम 4. नैनीदेवी पुत्री लालूराम 5. बाबूलाल पुत्र लालूराम 6. हरजीराम पुत्री लालूराम 7. हारीदेवी पुत्री लालूराम मेघवाल, निवासी बीनावास तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर। 8. तहसीलदार (भू0अ0) बिलाडा,जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.07.2019 जो राजस्व प्रकरण संख्या 12/2015 अनवान कमली बनाम हरजीराम वगैराह में तहसीलदार, बिलाडा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1— श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2— श्री नारायणसिंह, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 की ओर से
4— श्री नवलसिंह दहिया,राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से।

राजस्व अपील संख्या 145/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. बाबूलाल पुत्र पीताराम मेघवाल, निवासी बीनावास तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।		1. केलीदेवी पत्नी भैराराम मेघवाल, निवासी बीनावास तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर। 2. तहसीलदार (भू0अ0) बिलाडा,जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2022 जो राजस्व प्रकरण संख्या 03/2022 अनवान केलीदेवी बनाम सरकार में तहसीलदार, बिलाडा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1— श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2— श्री नारायणसिंह, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
3— श्री नवलसिंह दहिया,राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 4 सितम्बर, 2023

उक्त दोनों राजस्व अपील प्रकरण में विषय वस्तु एक समान होने तथा वादग्रस्त खसरान भूमि एक होने एवं पक्षकारान एक प्रकार के होने से यह दोनों अपील संयुक्त रूप से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षर शुदा प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में रखी जावें।

उक्त अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपर जिला कलेक्टर न्यायालय द्वितीय, जोधपुर के द्वारा अपील संख्या 15/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.7.2015 के क्रम में मौजा बिनावास के नामा0 संख्या 490 को निरस्त करते हुए ग्राम बीनावास के नामा0 में अंकित ख0सं0 96/7 रकबा 2.7506 हैक्टर भूमि के खातेदार स्व. लालूराम पुत्र आईदानराम मेघवाल के विधिक वारिसान की सही जॉच कर नये सिरे से नामा0 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा उक्त नामा0 को निरस्त करते हुए अन्तर्गत धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उत्तराधिकार नामान्तरकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 अनवान कमली बनाम हरजीराम वगैराह दर्ज किया गया। तत्पश्चात पटवारी हल्का से मृतक लालूराम के उत्तराधिकारियों की जॉच कर रिपोर्ट तलब की गई एवं पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। पटवारी हल्का व सरपंच की ओर से प्रस्तुत वंशावली अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा पक्षकारान के साक्ष्य के लिये गये साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 लालूराम का विधिक उत्तराधिकारी रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 एवं ढगलाराम को मानते हुए उनके नाम से नामा0 दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 को पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा यह अपील पेश की है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि उक्त खसरा संख्या 96/7 में खातेदार ढगलाराम, हरजीराम, बाबूलाल पिसरान लालूराम थे। खातेदार ढगलाराम के द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण रकबा भूमि का बेचान अपीलान्ट को दिनांक 1.9.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये कर दिया था। जिसकी पालना में नामा0 संख्या 1362 ग्राम पंचायत चांदेलाव के द्वारा स्वीकृत किया गया। तब से उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवंत 2066 से

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2069 में अपीलान्ट का नाम दर्ज हो रखा है व कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट के द्वारा चालू जमाबन्दी की दिनांक 17.2.23 को नकल प्राप्त की तब पटवारी हल्का के द्वारा दी गई नकल को देखने पर ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट का नाम चालू जमाबन्दी में दर्ज नहीं है। तब अपीलान्ट को बताया गया कि नामा0 संख्या 1721 द्वारा अपीलान्ट के नाम के स्थान पर पुनः ढगलाराम का नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात ढगलाराम के द्वारा अपना नाम पुनःदर्ज हो जाने पर अपने हिस्से की भूमि का एक वसीयतनामा केलीदेवी पत्नी भैराराम को वसीयत कर दी जिसके आधार पर नामा0 संख्या 1921 स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 17.2.2023 को नामा0 संख्या 1721 व 1921 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि उक्त नामा0 अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 12/2015 में पारित आदेश दिनांक 25.7.2019 एवं 24.6.2022 के तहत स्वीकृत किये गये। तब अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.7.2019 एवं 24.6.2022 की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.2.2023 को प्राप्त की एवं यह अपीले माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है जिन्हे अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुमति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर व्यथित पक्षकार होना मानते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपीलों को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट जो कि उक्त खसरा भूमि में एक रेकर्डेड सहखातेदार था जिसने उक्त खसरान भूमि में श्री ढगलाराम के हक–हिस्से में हुई भूमि का क्रय जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर किया गया था जिसे अपर जिला कलेक्टर द्वितीय, जोधपुर न्यायालय की अपील में एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरणों में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद किसी भी रूप से आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण किये जाने बाबत निर्धारित विधिक प्रकिया सम्पादित किये बिना ही एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज सहखातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये बिना हीं इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था एवं अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। श्री ढगलाराम के द्वारा अपने हिस्सा भूमि को अपीलान्ट को बेचान कर दिये जाने पर उनके हिस्से की रकबा भूमि में उनके खातेदारी अधिकार समाप्त होकर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट में निहित हो गये एवं राजस्व रेकर्ड में भी अपीलान्ट का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो गया था तथा नामा0 भी स्वीकृत हो चुका था तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका की जॉच करवाते तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित सहखातेदारान बाबत रिपोर्ट तलब करते हुए सभी पक्षकार को जरिये नोटिस तलब करते। इसके विपरित जाकर अपीलान्ट की रेकर्डशुदा दर्ज भूमि को पुनः ढगलाराम के नाम दर्ज करने बाबत आदेश दिया जाना न्याय सिद्धान्तों के विपरित था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपर जिला कलेक्टर न्यायालय द्वितीय, जोधपुर के द्वारा अपील संख्या 15/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.7.2015 की पालना में भूमि के खातेदार स्व. लालूराम पुत्र आईदानराम मेघवाल के विधिक वारिसान की सही जॉच कर नये सिरे से नामा0 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर नामा0 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा उत्तराधिकार नामान्तरकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, उसमें भी अपीलान्ट के नाम के स्थान पर ढगलाराम का नाम पुनः दर्ज करने का कोई निर्णय पारित नहीं किया यानि क्रेता के स्थान पर विक्रेता के नाम भूमि दर्ज करने बाबत कोई निर्देश पारित नहीं किये गये थे। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.7.19 विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.2019 के अनुसार श्री ढगलाराम पुत्र स्व. लालूराम के द्वारा भी अपने हिस्से में दर्ज हुई 1/7 हिस्सा भूमि का श्रीमती केली देवी पत्नी भैराराम के पक्ष में दिनांक 27.9.2021 को निष्पादित वसीयतनामा अनुसार वसीयत कर दी गई जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा था क्यों कि श्री ढगलाराम के द्वारा पूर्व में ही उक्त हिस्सा भूमि का बेचान अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया था। बिना कब्जे वाली भूमि का केलीदेवी के पक्ष में वसीयत किया जाना न्यायसंगत नहीं था। श्रीमती केलीदेवी के द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु इसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 सुनवाई प्रकरण संख्या 03/2022 अनवान केलीदेवी बनाम राज0 सरकार पेश किया गया। प्रार्थीया केलीदेवी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में उक्त खसरान भूमि में श्री ढगलाराम के 1/7 हिस्सा दर्ज भूमि को राजस्व रेकर्ड में जरिये नामा0 दर्ज करने के दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

24.6.2022 को जो अपीलाधीन आदेश प्रदान किये गये है जो भी विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया जावें तथा दोनों अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 दिनांक 24.06.2022 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपर जिला कलेक्टर न्यायालय द्वितीय, जोधपुर के द्वारा अपील संख्या 15/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.7.2015 के क्रम में मौजा बिनावास के नामा0 संख्या 490 को निरस्त करते हुए नामा0 में अंकित ग्राम बीनावास के ख0सं0 96/7 रकबा 2.7506 हैक्टर भूमि के खातेदार स्व. लालूराम पुत्र आईदानराम मेघवाल के विधिक वारिसान की सही जॉच कर नये सिरे से नामा0 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा नामा0 संख्या 490 को निरस्त करते हुए धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उत्तराधिकार नामान्तरकरण पुनः सुनवाई हेतु बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 अनवान कमली बनाम हरजीराम वगैराह दर्ज किया गया। तत्पश्चात पटवारी हल्का से मृतक लालूराम के उत्तराधिकारियों की जॉच कर रिपोर्ट तलब की गई एवं पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। पटवारी हल्का व सरपंच की ओर से प्रस्तुत वंशावली अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण से लिये गये साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्व0 लालूराम के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 एवं ढगलाराम को मानते हुए उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 को पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्ट के द्वारा केवल मात्र ढगलाराम के द्वारा विक्रय की गई भूमि से सम्बन्धित ही अनुतोष चाहा गया है, न कि पूरे अपीलाधीन आदेश बाबत।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के द्वारा यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.2019 के अनुसार श्री ढगलाराम पुत्र स्व. लालूराम के द्वारा भी अपने हिस्से में दर्ज हुई 1/7 हिस्सा भूमि का श्रीमती केली देवी पत्नी भैराराम के पक्ष में दिनांक 27.9.2021 को निष्पादित वसीयतनामा अनुसार वसीयत कर दी गई। श्री ढगलाराम का देहान्त दिनांक 13.12.2021 को हो जाने पर उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु श्रीमती केलीदेवी के द्वारा इसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 सुनवाई प्रकरण संख्या 03/2022 अनवान केलीदेवी बनाम राज0 सरकार पेश किया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जिस वसीयतनामें में गवाहों व साक्ष्य के बयान लिये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौके पर कोई विवाद नहीं होने तथा वसीयत बाबत कोई एतराज पेश नहीं होने पर प्रार्थीया केलीदेवी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीया के पक्ष में उक्त खसरान भूमि में श्री ढगलाराम के 1/7 हिस्सा दर्ज भूमि को राजस्व रेकर्ड में जरिये नामा0 दर्ज करने के दिनांक 24.6.2022 को आदेश प्रदान किये गये है जो विधि अनूकूल होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों प्रकरणों में पक्षकार नहीं था क्योंकि ख0सं0 96/7 के पूर्व खातेदार स्व0 लालूराम के विधिक वारिसान के मध्य हक–अधिकार तय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पेश हुए थे तथा अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के द्वारा भी केवल मात्र स्व0 लालूराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामा0 दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे। ऐसे में अपीलान्ट को दोनों प्रकरणों के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपीले प्रस्तुत करने का भी कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार अपीलान्ट की यह दोनों अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अब पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 एवं दिनांक 24.06.2022 को यथावत बहाल रखा जावें एवं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि श्री ढगलाराम पुत्र लालूराम के द्वारा खसरा संख्या 96/7 में आई हुई अपने हक–हिस्से वाली रकबा भूमि को वर्तमान अपील बाबूलाल पुत्र पीताराम मेघवाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 1.9.2014 को ही बेचान कर दिया जाना रेकर्ड से प्रकट होता है। अति0 जिला कलेक्टर, द्वितीय जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.2015 के कम्र में तहसीलदार बिलाडा के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 12/12015 दर्ज करते हुए दिनलांक 25.7.2019 को स्व0 लालूराम के विधिक वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये तथा उन्हें प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संस्थित नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेशों की जानकारी अपीलान्ट को समय पर नहीं होना प्रकट है। जबकि अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा है। श्री ढगलाराम के द्वारा भी अपर जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अपीलान्ट कर दिये जाने के तथ्य को उजागर नहीं किया और न ही रिमाण्ड प्रकरण की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवगत कराये गये, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड की वस्तुस्थिति को पत्रावली पर नहीं लिया गया।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयत प्रकरण के द्वारा श्री ढगलाराम ने रिमाण्ड प्रकरण में दिये गये निर्णय अनुसार उक्त खसरा के रकबा भूमि में उनके हिस्से में आई 1/7 हिस्सा भूमि की वसीयत श्रीमती केलीदेवी पत्नी भेराराम के नाम कर दी। जबकि ढगलाराम स्वयं के द्वारा पूर्व में अपने हक–हिस्से में दर्ज भूमि का बेचान अपीलान्ट को किया जा चुका था। श्री ढगलाराम की मृत्यु उपरान्त उक्त वसीयत के आधार पर श्री ढगलाराम के हिस्से की भूमि श्रीमती केलीदेवी के नाम दर्ज कर दी गई है। ऐसे में श्री ढगलाराम के द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को उजागर नहीं किया और वास्तविक स्थिति को छुपाया गया है जिससे अपीलान्ट रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर खरीदी गई भूमि से वंचित हो गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाना तथा 24.6.202 को पूर्ण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा प्रकरण संख्या 12/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.7.2019 में "श्री ढगलाराम के पक्ष में खसरा संख्या 96/7 में 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज किये जाने तक के आदेश" को निरस्त किया जाता है तथा श्री ढगलाराम के पक्ष में आई हुई 1/7 भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट बाबूलाल पुत्र पीताराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 02/2022 अनवान श्रीमती केलीदेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24.6.2022 एवं नामा0 संख्या 1921 दिनांक 16.9.2022 को भी निरस्त किया जाता है। श्री ढगलाराम से क्रय की गई शेष भूमि हेतु अपीलान्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करें। निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर